. तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज जगदीश सिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 62/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जगदीशसिंह गहलोत पता गहलोता का बास, मगरा पूंजला, मण्डोर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.03.2018 में उसके द्वारा (1) राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.08.1962 के जरिये बेरीगगां कम्पार्टपेंट 1–2 जोधपुर में वन विभाग के लिए भूमि आंवटन की इच्छा जाहिर की है । श्रीमान् सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी दिनांक 22.12.1983 को आदेश पारित कर गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.08.1962 में दर्शाये समस्त भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया, के विषय में खसरा नं. 5 की वर्ष 2001 से 2018 तक की सत्यापित मिसल बन्दोबस्त प्रति उपलब्ध कराने से व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष(तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner